



संभल कर रहिएगा! लौटा नहीं है मौनसून, बिहार में बारिश अभी बाकी है



पटना. ऐसा माना जा रहा था कि सितंबर महीने के विदाई के साथ ही बिहार में मौनसून का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा. लेकिन, मौसम को लेकर जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार अभी बिहार में मौनसून पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. इसी बीच बिहार में आज से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. पटना समेत बिहार के अन्य जिलों में आज सुबह से मौसम सुहाना हो गया है. अब ऐसे में इस बार नवरात्रि के दौरान बारिश के आसार हैं. मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कुछ जिलों में 7 और 8 अक्टूबर को बारिश का पूर्वानुमान है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर भी जारी रह

सकता है. मौसम विभाग ने कहा है कि राजधानी पटना समेत राज्य के कई जिलों में बादल छाए रह सकते हैं. पटना, गोपालगंज, सीवान, सारण, नालंदा, जहानाबाद समेत की और जिलों में बारिश की संभावना है. 15 अक्टूबर तक बारिश के आसार संबंधित खबरें मौसम विभाग के अनुसार बिहार में मौनसून की वापसी के कारण 15 अक्टूबर तक बारिश की संभावना बनी रहेगी. वैसे उत्तर-पूर्व हिस्से में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है इसका प्रभाव भी इस सप्ताह बिहार में देखने को मिलेगा. सोमवार को बिहार में न्यूनतम तापमान लगभग 25 डिग्री से. और

अधिकतम तापमान लगभग 31 डिग्री से. के आस-पास रहने की संभावना है. इन जिलों में हो सकती है बारिश मौसम विभाग ने विशेष रूप से, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बारिश होने की चेतावनी है. मौसम विभाग की मानें तो इन इलाकों की स्थिति और बिगड़ सकती है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि राज्य के करीब 20 जिलों में बारिश और आसमानी बिजली गिरने की आशंका बनी हुई है. बिहार के पश्चिमी चम्पारण, किशनगंज, सारण, अररिया, सहरसा, मधेपुरा जैसे जिलों में बाढ़ के कारण पहले से ही समस्याएं हैं. इन क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ दोनों का असर देखने को मिल सकता है.

सरकारी बंगले से टोंटी, बेड, लाइट्स, सोफा-AC सब ले गए तेजस्वी? BJP ने की जांच की मांग

बिहार में ND सोमवार को तेजस्वी यादव द्वारा हाल में खाली किए गए बंगले से सामान चोरी होने का आरोप लगाया। यह बंगला तेजस्वी को राज्य का डिप्टी सीएम रहने के दौरान अलॉट किया गया था। अब तेजस्वी ने ये बंगला खाली कर दिया है और दूसरे बंगले में शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बंगला खाली करते वक्त अपने साथ बंगले का सारा सामान भी ले गए हैं। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि पटना के 5 देशरत्न मार्ग बंगले से टोंटी ही नहीं, वॉश बेसिन, बाथ टब, RO, फ्रिज, टीवी, सोफे, बेड और यहां तक कि बिजली के स्विच तक गायब हैं। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि एनडीए तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू प्रसाद को नौकरी के बदले जमीन 'घोटाले' में दिल्ली की एक अदालत से जमानत मिलने पर अपनी हताशा जाहिर कर रहा है। बैडमिंटन कोर्ट की एक महंगी चटाई, एक सोफा सेट, एक एयर कंडीशनर, एक हाइड्रोलिक बिस्तर, एक वॉश बेसिन और पानी के कई नल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आवश्यक कार्रवाई के लिए विवरण भवन निर्माण विभाग के साथ शेयर किया गया है, जिसके पास मंत्रियों के बंगलों के रखरखाव का जिम्मा है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने सहयोगी दल भाजपा के आरोप पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, "तेजस्वी यादव को बंगला खाली करने में इतने महीने लग गए, यह अपने आप में चिंता का विषय है। लेकिन, अगर उन्होंने अपने लोगों को सरकारी संपत्ति



हैं, ताकि हमारे नेता के आने से पहले जरूरी काम कराए जा सकें। हम बहुत सारी चीजें गायब देखकर हैरान हैं। जाहिर है, पहले इस बंगले में रहे लोग इन सामान को अपने साथ ले गए।" इकबाल ने कहा कि गायब हुई चीजों में "आवास में बनाए गए बैडमिंटन कोर्ट की एक महंगी चटाई, एक सोफा सेट, एक एयर कंडीशनर, एक हाइड्रोलिक बिस्तर, एक वॉश बेसिन और पानी के कई नल शामिल हैं।" उन्होंने कहा कि आवश्यक कार्रवाई के लिए विवरण भवन निर्माण विभाग के साथ शेयर किया गया है, जिसके पास मंत्रियों के बंगलों के रखरखाव का जिम्मा है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने सहयोगी दल भाजपा के आरोप पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, "तेजस्वी यादव को बंगला खाली करने में इतने महीने लग गए, यह अपने आप में चिंता का विषय है। लेकिन, अगर उन्होंने अपने लोगों को सरकारी संपत्ति

लूटने की अनुमति दी है, तो यह उनके चरित्र पर सवाल उठता है। उम्मीद है कि उपमुख्यमंत्री इस मामले को गंभीरता से लेंगे और इसे तार्किक निष्कर्ष तक ले जाएंगे।" ...तो हम वीडियो सार्वजनिक कर देंगे राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने आरोप को खारिज किया और कहा कि एनडीए तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू प्रसाद को नौकरी के बदले जमीन 'घोटाले' में दिल्ली की एक अदालत से जमानत मिलने पर अपनी हताशा जाहिर कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया, "केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के इशारे पर श्वष्ट और छद्म ने हमारे नेताओं को बहुत परेशान किया। अब, जब एनडीए को अपनी करतूतों की वजह से शर्मसार होना पड़ रहा है, तो उसके नेता बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं।" उन्होंने भवन निर्माण विभाग को आवास में रखे सामानों की सूची पेश करने की चुनौती दी और दावा किया कि "हमने उस

समय के वीडियो शूट किए थे जब हमारे नेता (तेजस्वी) परिसर खाली कर रहे थे। अगर ऐसी हरकतें बंद नहीं हुईं, तो हम वीडियो सार्वजनिक कर देंगे।" गिरिराज सिंह ने जांच की मांग की सरकारी बंगले से सामान गायब होने के आरोपों के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोमवार को बंगले पर खर्च की गई राशि की जांच की मांग की। बिहार के बेगूसराय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सिंह ने कहा, "राजनीतिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए इस तरह का घटियापन उचित नहीं है। तेजस्वी यादव के बंगले पर कितनी रकम खर्च हुई, इसकी जांच के लिए एक जांच समिति बनाई जानी चाहिए और मामला दर्ज किया जाना चाहिए।" बिहार में एनडीए ने सोमवार को तेजस्वी यादव द्वारा हाल में खाली किए गए बंगले से सामान चोरी होने का आरोप लगाया, जिसके बाद गिरिराज का बयान आया है।

सुपौल में स्कॉर्पियो-ट्रक में आमने-सामने की टक्कर दो लोगों की हालत गंभीर; हायर सेंटर रेफर

स्थानीय लोगों के सहयोग से ही दोनों घायलों को किसी तरह स्कॉर्पियो से बाहर निकाल कर राधोपुर रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया। इधर, राधोपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। सुपौल जिले के एक तेज रफतार स्कॉर्पियो और ट्रक में आमने सामने की टक्कर हो गई। घटना में स्कॉर्पियो सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं स्कॉर्पियो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है। स्थानीय



लोगों ने बताया कि दोनों वाहनों के टकराने की आवाज सुन कर लोग दौड़े। जिसके बाद घटनास्थल पर काफी भीड़ जुट गई। बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर

दिया स्थानीय लोगों के सहयोग से ही दोनों घायलों को किसी तरह स्कॉर्पियो से बाहर निकाल कर राधोपुर रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया। जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद

दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। घायलों की पहचान पिपरा थाना क्षेत्र के आनंदीपट्टी निवासी रंजीत सिंह व धर्मेन्द्र कुमार यादव के रूप में हुई है

बिहार में एनडीए सरकार के विश्वास मत के दौरान विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामले की जांच ईओयू कर रही है। इस मामले को ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) को भी भेजा गया है, ताकि इसमें धन शोधन कानून से जुड़े तमाम प्रावधानों की जांच हो सके। हालांकि ईडी ने अभी इसे अपने पास न दर्ज किया है और न ही कोई तफ्तीश शुरू की है। आने वाले समय में केस का अध्ययन करने के बाद इसे ईडी दर्ज कर सकती है। विधायक खरीद-फरोख्त का मामला पटना के कोतवाली थाने में फरवरी में दर्ज कराया गया था। हालांकि विधानसभा से जदयू विधायक



सुधांशु शेखर की लिखित शिकायत पर इसकी एफआईआर दर्ज की गई थी। कुछ माह पहले इस मामले को ईओयू (आर्थिक अपराध इकाई) ने टेकओवर कर आगे

की जांच शुरू कर दी है। अब तक की जांच में ईओयू को इसमें बिहार के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड के अलावा नेपाल में बैठे कुछ लोगों के माध्यम से सत्तारूढ़ विधायकों

को खरीदने के लिए पैसे का इंतजाम किया गया था। इसमें कई स्तर पर पैसे के लेन-देन की बात सामने आई थी। कुछ विधायकों को एडवांस के तौर पर भी

हर पांच साल पर शिक्षकों का स्थानांतरण अनिवार्य, प्रमोशन को लेकर भी आया अपडेट

पटना। राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों का स्थानांतरण अब हर पांच साल पर होगा। इसे अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। किसी भी विद्यालय में अधिकतम 70 प्रतिशत महिला शिक्षकों का ही पदस्थापन होगा। विद्यालयों में शिक्षकों का पदस्थापन शिक्षा का अधिकार कानून के मानक के आधार पर होगा। राजनीति में सल्लसता, वित्तीय अनियमितता बरतने एवं नैतिक पतन के मामले में शिक्षक जिला बदर किए जाएंगे। उन पर विभागीय कार्यवाही भी चलेगी। यह प्रविधान सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानांतरण-पदस्थापन को लागू की गई नयी नीति में किया गया है। प्रत्येक विद्यालय में होंगे चार कोटि के शिक्षक नई नीति के प्रविधान के मुताबिक, चार कोटि के शिक्षकों में से प्रत्येक विद्यालय में 10 प्रतिशत पुराने वेतनमान वाले, 30 प्रतिशत नियोजित, 30 प्रतिशत सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट एवं

30 प्रतिशत बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त शिक्षक होंगे। प्रत्येक शहरी निकाय को एक इकाई मान कर स्थानांतरण की कार्यवाई की जाएगी। स्थानान्तरण-पदस्थापन में शिक्षकों की वरीयता का भी ध्यान रखा जाएगा। जिला स्तरीय वरीयता सूची शिक्षक श्रेणीवार होगा। स्थानान्तरण-पदस्थापन के लिए जाने वाले दस विकल्प में यथासंभव उन्हें निकटतम अनुमंडल या जिला में पदस्थापित किया जायेगा। स्थानान्तरण, पदस्थापन, प्रतिनियुक्ति की कार्यवाई साफ्टवेयर आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से होगी। रिक्ति की गणना शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र-शिक्षक अनुपात एवं आधारभूत संरचना की उपलब्धता के आधार पर की जाएगी। नियोजित शिक्षकों पर लागू नहीं होगी नई पॉलिसी पहले चरण में नियोजित शिक्षकों को छोड़ कर शेष सभी कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण-पदस्थापन लोक

सेवा आयोग से टीआरई वन-टू के शिक्षक स्थानान्तरण-पदस्थापन के लिए विकल्प नहीं देंगे, तो उनके स्थानान्तरण पर विचार नहीं होगा। वे अपने वर्तमान पदस्थापन वाले स्कूल में ही बने रहेंगे। पहले चरण के स्थानांतरण-पदस्थापन की कार्यवाई में सक्षमता उत्तीर्ण एवं बीपीएससी से टीआरई वन-टू के शिक्षक के लिए राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर अवसर प्रदान किये जाएंगे। सामान्यतया शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। अतिआवश्यक होने पर जिला स्थापना समिति द्वारा तीन माह के लिए प्रतिनियुक्ति का आदेश दिया जा सकेगा। स्थानांतरण एवं प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश विभागीय पोर्टल से साफ्टवेयर आधारित आटो जेनरेटड फार्मेट के माध्यम से निर्गत किया जाएगा। अन्य किसी माध्यम से निकाले गए आदेश अवैध माने जाएंगे। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने नई नीति में स्पष्ट प्रविधान किया है।

